संख्या-2/2018/3060/78-2-2017-36आई0टी0/2000

प्रेषक

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में

उद्योग निदेशक
कानपुर]
उत्तर प्रदेश

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 16 जनवरी 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश सरकार के केन्द्रीय कम्प्यूटर केन्द्र के प्रबन्धन] रख-रखाव एवं संचालन तथा शासन के विभिन्न विभागो को उपलब्ध करायी जाने वाली परामर्शी सेवाओं के लिए प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय]

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश सरकार के केन्द्रीय कम्प्यूटर केन्द्र के प्रबन्धन] रख-रखाव एवं संचालन तथा शासन के विभिन्न विभागो को उपलब्ध करायी जाने वाली परामर्शी सेवाओं पर व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 10000000/- (रूपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन निर्गत कर प्रबंध निदेशक यूपीडेस्को के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त के आहरण तथा विवरण का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर के यहॉ भी रखेंगे।

(2) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/दस-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन एवं यूपीडेस्को के मध्य निष्पादित अनुबंध की शर्तों के अधीन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) उक्त धनराशि के व्यय वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए धनराशि व्यय की जायेगी, यदि स्वीकृत धनराशि में कोई बचत होती है तो उसे शासन को अवगत कराते हुए कोषागार में जमा किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार कर महालेखाकार, उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-२ को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखा-शीर्षक 2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-06-.यू.पी.डेस्को द्वारा प्रदेश सरकार के केन्द्रीय कम्प्यूटर केन्द्र के प्रबन्धन, रख रखाव, संचालन तथा शासन के विभिन्न विभागों को उपलब्ध करायी जाने वाली परामर्शी सेवाएं, 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नाम डाला जायेगा।

2- प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बजट मैनुअल के समस्त प्राविधानों/नियमों/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

भवदीय
डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा
विशेष सचिव

<u>संख्या-2/2018/3060(I)/78-2-2017, तद्‌दिनांक।</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
(3) संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को/यू0पी0एल0सी0, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) राज्य समन्वयक, उ0प्र0 सेन्टरफारई-गवर्नेन्स, यूपीडेस्को, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (बजट) अनुभाग-2
(8) औद्योगिक विकास अनु0-2/सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-3 /नियोजन अनुभाग-4/आई0टी0 अनु-1
(9) गार्डफाइल।

आज्ञा से,
( डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in